

राजस्थान सरकार  
अभियोजन निदेशालय, राजस्थान जयपुर।

क्रमांक:- स. 3-6(3)स्था/मंत्रा/अभि/19/ 2151-2200 दिनांक :- 11/02/2020

**-: आदेश:-**

राजस्थान अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक सेवा नियम 1999 के नियम 32-33 के अन्तर्गत विभागीय पदोन्नति समिति की अनुशंसा पर गैर अनुसूचित क्षेत्र के निम्नलिखित वरिष्ठ सहायक को सहायक प्रशासनिक अधिकारी के पद पर वर्ष 2019-20 की रिक्तियों के विरुद्ध राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतन) नियम 2017 पे मेट्रिक्स लेवल -10 में पदोन्नत किया जाता है।

क्र०स०	कार्मिक का नाम	वर्ग	रिक्ति की दिनांक जिसके विरुद्ध चयन किया गया	विशेष विवरण
1	3		6	
1.	श्रीमती शकुन्तला स्वर्णकार पत्नी श्री महावीर प्रसाद शर्मा	सामान्य	दिनांक 1.4.2019	से०नि० दि० 31.7.19
2.	श्री मुरारी लाल मीणा पुत्र श्री किशोरी लाल	एस०टी०	दिनांक 1.4.2019	
3.	श्री कैलाश चन्द मीणा पुत्र श्री कुंवरलाल	एस०टी०	दिनांक 1.4.2019	
4.	श्री धनपाल बैरवा पुत्र श्री रामलाल बैरवा	एस०सी०	दिनांक 1.4.2019	

पदोन्नति पर वेतन निर्धारण के फलस्वरूप नकद लाभ पदोन्नत पद पर उपस्थिति की दिनांक से देय होंगे। क्र०स० 02 से 04 अंकित पदोन्नत कार्मिकों का पदस्थापन वर्तमान कार्यालय में सहायक प्रशासनिक अधिकारी के रिक्त पद पर किया जाता है।

उपरोक्त पदोन्नति हेतु सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र क्रमांक प. 13 (5) साप्र/3/08 दिनांक 17.12.2019 द्वारा अनुपलब्धता प्रमाण-पत्र प्राप्त कर लिया गया है।

*sd*  
(एस०एन०व्यास)

निदेशक अभियोजन  
राजस्थान जयपुर

**प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-**

1. समस्त उप निदेशक अभियोजन, राजस्थान (मु.) सहित ।
2. समस्त सहायक निदेशक अभियोजन, राजस्थान (मु.) सहित ।
3. निजी सचिव, निदेशक अभियोजन ।
4. अतिरिक्त निजी सचिव, अतिरिक्त निदेशक अभियोजन (न्याय) राजस्थान जयपुर।
5. अतिरिक्त निदेशक अभियोजन (अभियोजन) राजस्थान जयपुर।
6. प्रशासनिक अधिकारी, अभियोजन निदेशालय जयपुर।
7. सम्बंधित कार्मिक ।
8. निजी पत्रावली/समस्त शाखा, अभियोजन निदेशालय राजस्थान जयपुर।
9. रक्षित पत्रावली ।

*sd*  
निदेशक अभियोजन  
राजस्थान जयपुर

राजस्थान सरकार  
अभियोजन निदेशालय, राजस्थान जयपुर।

क्रमांक- स. 3-6(3)स्था/मंत्रा/अभि/19/2100-56

दिनांक :- 11/02/2020

**-: आदेश:-**

राजस्थान अनुसूचित क्षेत्र अधीनस्थ कार्यालय सिविलीय, चतुर्थ श्रेणी भर्ती एवं अन्य सेवा नियम 2014 के नियम 28 के अन्तर्गत वर्ष 2019-20 में दिनांक 01.04.2019 को उपलब्ध रिक्ति के विरुद्ध विभागीय पदोन्नति समिति की अनुशंसा पर अनुसूचित क्षेत्र के श्री रामा यादव पुत्र श्री नाथूजी, वरिष्ठ सहायक को उनकी सेवा में चयन के समय की मूल वरिष्ठता के आधार पर सामान्य पद के विरुद्ध सहायक प्रशासनिक अधिकारी के पद पर राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतन) नियम 2017 पे मेट्रिक्स लेवल -10 में पदोन्नत किया जाता है।


उपरोक्त पदोन्नति हेतु सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र क्रमांक प. 13(5) साप्र/3/08 दिनांक 17.12.2019 द्वारा अनुपलब्धता प्रमाण-पत्र प्राप्त कर लिया गया है।

  
(एसओएन0व्यास)

निदेशक अभियोजन  
राजस्थान जयपुर

**प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-**

1. समस्त उप निदेशक अभियोजन, राजस्थान (मु.) सहित ।
2. समस्त सहायक निदेशक अभियोजन, राजस्थान (मु.) सहित ।
3. निजी सचिव, निदेशक अभियोजन ।
4. अतिरिक्त निजी सचिव, अतिरिक्त निदेशक अभियोजन (न्याय) राजस्थान जयपुर।
5. अतिरिक्त निदेशक अभियोजन (अभियोजन) राजस्थान जयपुर।
6. प्रशासनिक अधिकारी अभियोजन निदेशालय ।
7. सम्बन्धित कार्मिक ।
8. निजी पत्रावली / समस्त शाखा, अभियोजन निदेशालय राजस्थान जयपुर।
9. रक्षित पत्रावली ।

  
निदेशक अभियोजन  
राजस्थान जयपुर